

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राज 0 जयपुर

क्रमांक:- एफ 4 (ई) द्वितीय एसीपी 89/अलेसे-11/6092-6104

दिनांक:- 22-7-2011

आदेश संख्या 71/2011-12

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.11(7)वित्त (नियम)/2008 दिनांक 12-09-2008 एवं आदेश संख्या एफ 11 (7) वित्त (नियम) पार्ट- I/2008 दिनांक 08-10-2008 के अनुसरण में निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकारों जिन्होंने कनिष्ठ लेखाकार के पद पर 18 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सामने अंकित कॉलम संख्या 5 में उल्लिखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद का द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) वेतन श्रृंखला पी.बी.-2 (9300&34800) ग्रेड पे 4200/- में स्वीकृत की जाती है-

क्र. सं.	नाम कनिष्ठ लेखाकार सर्वश्री	बैच नं०	कार्यग्रहण तिथि	द्वितीय ए.सी.पी स्वीकृति दिनांक	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	वृजेश कुमार	DGS/89	11/11/1991	11/11/2009	
2.	नगेन्द्र पारीक	DGS/89	06/06/1992	06/06/2010	
3.	कुलवीर सिंह	DGS/89	21/09/1992	21/09/2010	
4.	संतोष कुमार शर्मा	DGS/89	20/04/1993	20/04/2011	
5.	प्रशान्त नागर	DGS/89	05/06/1993	05/06/2011	

उक्त कनिष्ठ लेखाकारों को वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प.0 14 (88) वित्त/नियम/2008 दिनांक 31-12-2008 में दी हुई शर्तों के संबंध में सन्तोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण पत्र तथा सन्तान संबंधी घोषणा प्राप्ति के आधार पर आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृत की जाती है ।

क्रम संख्या 1, 2, 4, एवं 5 पर अंकित कनिष्ठ लेखाकारों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन नियमानुसार उपलब्ध नहीं होने पर वित्त विभाग (नियम अनुमति) के मेमोरण्डम दिनांक 07-08-2011 के अनुसरण में उत्तने ही पिछले वर्षों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार पर द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति इस शर्त पर स्वीकृत किया जाता है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जायेगा तथा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति के बारे में निर्णय लिया जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जायेगा।



उपर्युक्त कनिष्ठ लेखाकारों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12-09-2008 के पैरा 19 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि संबंधित कर्मचारी संशोधित वेतनमान 2008 में वेतन प्राप्त कर रहा है। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यकतानुसार से संबंधित कनिष्ठ लेखाकार की सेवा पुस्तिका में की जावे।

निदेशक

क्रमांक:- एफ 4 (ई) द्वितीय एसीपी 89/अलेसे-III/ 6092-6104 दिनांक:- 22-07-2011

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
2. श्री कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय
3. निजी सहायक निदेशक, महोदय।
4. गोपनीय शाखा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त कनिष्ठ लेखाकार के भविष्य में वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कोई प्रतिकूल प्रविष्टि प्राप्त होती है, तो उनके प्रकरण को पुनः खोले जाने के प्रस्ताव इस शाखा को प्रेषित करें।
5. कम्प्यूटर (वेबसाइट हेतु)।
6. निजी/गार्ड फाईल।

संयुक्त निदेशक [कार्मिक-II]